FORM NO-III
फर्द अहकाम
(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम–रुपनगढ, जिला–अजमेर

राजू बनाम प्रेम देवी

किस्म मुकदमा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

नम्बर– 114 वर्ष:–2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.12.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री विमल किशोर तिवाडी ने अन्तर्गत धारा–212 रा0 का0 अधि0 के तहत पेश किया। वकील प्रार्थी की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः ग्राम काठोदा के ख0न0 55, 155, 156 की भूमि में अप्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 की पालना सुनिश्चित करेंगे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रांवली दिनांक 06.02.2026 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
28-1-26	प्रार्थी द्वारा पत्रावली तलब करने व प्र० पत्र खारिज करने बाबत प्रार्थना-पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित, जिसकी पहचान वकील प्रार्थी द्वारा की गई। चूंकि मूलवाद जरिये विड्रोल खारिज किया जा चुका है, इस कारण उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थी का [illegible]-पत्र खारिज किया [illegible]। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	राजू माली पहचानकर्ता AD

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2026.03.01 14:27:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner